

प्रेस विज्ञापित
दिनांक 21.10.2020

अज्ञात (Blind Murder) जयपाल हत्याकाण्ड का थाना नरसैना पुलिस द्वारा किया खुलासा, 02 हत्यारोपी आलाकत्ल बलकटी सहित गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 17.08.2020 को थाना नरसैना क्षेत्र के ग्राम पालीआनंदगढ़ी के चौकीदार मनोज कुमार द्वारा थाना नरसैना पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराई थी कि उसके गांव के सुलेन्द्र के ईख के खेत में एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा है जिसकी गला रेतकर हत्या की गयी थी। उक्त सूचना पर तत्काल थानाप्रभारी नरसैना मय फोर्स के मौके पर पहुंचे एवं शव को कब्जे में लेकर शव का पंचायतनामा भरकर आवश्यक कार्यवाही करते हुए ग्राम चौकीदार की तहरीर पर थाना नरसैना पर मु0अ0सं0-204/20 धारा 302,201 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। मृतक की शिनाख्त के लगातार प्रयास किए जा रहे थे। काफी प्रयास करने के बाद भी उक्त शव की शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। थानाप्रभारी नरसैना द्वारा 02 महीने तक अथक परिश्रम व विभिन्न तकनीक के सार्थक प्रयोग से मृतक की पहचान जयपाल पुत्र बृजपाल निवासी दुमलिया अस्तौली थाना परौर जनपद शाहजहांपुर के रूप में हुई।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर श्री संतोष कुमार सिंह के आदेशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी स्याना श्रीमती अलका के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष नरसैना श्री शौकेन्द्र सिंह को घटना के अनावरण हेतु आवश्यक निर्देश दिये गये थे। थानाध्यक्ष नरसैना श्री शौकेन्द्र सिंह द्वारा गहनता से की गयी विवेचना/कार्यवाही में हत्याकांड में संलिप्त अभियुक्त 1-दिनेश उर्फ दिन्नू पुत्र सरदार सिंह निवासी ग्राम डबकौरा थाना जहाँगीराबाद बुलन्दशहर 2-सुनीता पत्नी अशोक निवासी कस्बा व थाना भागलपुर(बिहार), 3-पिन्दू पुत्र प्रताप सिंह निवासी डबकौरा थाना जहाँगीराबाद बुलन्दशहर व 4-अमित पुत्र जगवीर निवासी दुलखरा थाना अहार बुलन्दशहर के नाम प्रकाश में आये। दिनांक 20.10.2020 को थानाध्यक्ष नरसैना श्री शौकेन्द्र सिंह मय पुलिस फोर्स द्वारा अभियुक्त दिनेश उर्फ दिन्नू व सुनीता को जपनद गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद क्षेत्रान्तर्गत मौ0 जनकपुरी डी-33 से सुरेशपाल पुत्र परमाले सिंह के किराये के मकान से समय करीब 14.50 बजे गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त दिनेश उर्फ दिन्नू की निशादेही पर आलाकत्ल बलकटी व मृतक का आधार कार्ड भी बरामद कर लिया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

- 1- दिनेश उर्फ दिन्नू पुत्र सरदार सिंह निवासी ग्राम डबकौरा थाना जहाँगीराबाद बुलन्दशहर।
- 2- सुनीता पत्नी अशोक निवासी कस्बा व थाना भागलपुर (बिहार)।

बरामदगी-

- 1- हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल बलकटी
- 2- मृतक का आधार कार्ड

हत्या का कारण-

उपरोक्त घटना की मनोवैज्ञानिक ढंग से पूछताछ व विभिन्न तकनीकी साक्ष्य संकलन आदि कार्यवाही से ज्ञात हुआ कि अभियुक्त दिनेश उर्फ दिन्नू करीब 05 माह पूर्व कडकड मॉडल झण्डापुर साहिबाबाद में बिजेन्द्रपाल के किराये के मकान में रहने के लिए आया था। उसी मकान में पूर्व से मृतक जयपाल व उसकी प्रेमिका सुनीता अपने एक लड़के के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। जयपाल व सुनीता के मध्य अक्सर किसी न किसी बोट को लेकर झगड़ा होता रहता था तथा अभियुक्त दिनेश उर्फ दिन्नू द्वारा दोनों के झगड़े में मध्यस्थता कराते हुए सुनीता का ही पक्ष लिया जाता था। धीरे-धीरे दिनेश उर्फ दिन्नू व सुनीता के मध्य प्रेम संबंध स्थापित हो गये तथा जयपाल दोनों को रास्ते का रोड़ा लगने लगा। इसी बात को लेकर दोनों ने जयपाल को रास्ते से हटाने के लिए योजना बनायी तथा दिनांक 16/17.08.2020 की मध्यरात्रि में अभियुक्त दिनेश उर्फ दिन्नू ने अपने भतीजे पिन्दू पुत्र प्रताप सिंह निवासी डबकौरा थाना जहाँगीराबाद बुलन्दशहर व भांजे

अमित पुत्र जगवीर निवासी दुलखरा थाना अहार बुलन्दशहर के साथ मिलकर योजनानुसार जयपाल को पत्थरी की दवाई दिलाने के बहाने एक किराये की गाड़ी से थाना नरसैना क्षेत्रान्तर्गत गांव पाली आनन्दगढी के जंगल में ले जाकर बलकटी से उसका गला रेतकर हत्या कर दी गयी थी। हत्याकाण्ड में संलिप्त पिन्दू व अमित उपरोक्त की गिरफ्तारी के भी प्रयास किये जा रहे है। उक्त पंजीकृत अभियोग में धारा 120बी भादवि की वृद्धि की गयी है। अभियुक्त दिनेश उर्फ दिन्नू शातिर किस्म का अपराधी है जिसके विरुद्ध निम्न अभियोग पंजीकृत है-

अभियुक्त दिनेश उर्फ दिन्नू का आपराधिक इतिहास-

- 1- मुअसं-314/1998 धारा 394,302 भादवि थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर।
- 2- मुअसं-248/2008 धारा 307,302,201,394,411,120बी भादवि थाना धौलना जनपद हापुड़।
- 3- मुअसं-260/2008 धारा 4/25 शस्त्र अधि० थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना नरसैना पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को मा० न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. श्री शौकेन्द्र सिंह थानाध्यक्ष नरसैना
2. उ०नि० राजपाल सिंह
3. है०का० विजय राणा, का० जुगेन्द्र कुमार, म०आरक्षी मीनू जावला का० चालक अरुण कुमार
4. का० कपिल नैन - सर्विलांस सैल